



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GR 152863

(शपथ पत्र - "अ")

हम डी० विदित चौधरी एवं दीपा चौधरी क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव, श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट, बिजनौर शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

- 1- यह कि हमारी सोसाइटी /ट्रस्ट द्वारा एम० डी० कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज, निकट चामुंडा मंदिर, जाटान, बिजनौर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2022-23 में की जा चुकी है।
- 2- यह कि हमारी सोसाइटी /ट्रस्ट के नाम मौजा करवा बिजनौर (सीमान्तर्गत नगर पालिका परिषद, बिजनौर) में गाटा संख्या (2529/2,2530,2531,2862,2863,2865), (2530,2531), (2862,2863,2864,2865), (2862), (2859), (2532), (2533,2534), (2531,2535,2860,2862), (2535), एवं (2535,2834/1,2859) रकबा क्रमशः (0.099999845626 Hect.), (0.09699991096 Hect.), (0.15000001125 Hect.), (0.0649999798485 Hect.), (0.089000085184 Hect.), (0.0400000191874 Hect.), (0.296900009075 Hect.), (0.0292000115787 Hect.), (0.086000150518 Hect.), एवं (0.0520000816 Hect.) हेक्टेयर (कुल रकबा 1.0051000044 हेक्टेयर) भूमि है।
- 3- यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
- 4- यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी /ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 2529/2,2530,2531,2862,2863,2864 एवं 2865 रकबा (0.75 acre) अर्थात 0.3035142 हेक्टेयर (कुल रकबा (0.75 acre) अर्थात 0.3035142 हेक्टेयर (कुल भूमि का अंश)) (परिषद् मानकानुसार अर्बन क्षेत्र में न्यूनतम 0.5 एकड़ भूमि) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव सोसाइटी /ट्रस्ट की बैठक दिनांक 18/09/2019 द्वारा पारित किया गया है।

(Signature)

(Signature)

- 5- यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रभ्रगत डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नवशे के अनुसार किया गया है।
- 6- यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी /ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उसे पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 7- यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मैसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।
- 8- यह कि इस संस्था में फार्मैसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- 9- यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मैसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद /विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/ विद्यालय/ महाविद्यालय /आई0टी0आई0 आदि का संचालन नहीं किया जाएगा।
- 10- यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लासरूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मैसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।
- 11- यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी /ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ से पूर्व कर ली जाएगी।
- 12- यह कि शासन /परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों /आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पाई जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- 13- मैं घोषणा करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख/ दस्तावेज फर्जी, कूट रचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गई विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



[Signature]
ह० सचिव

sworn before me on this 01/09/2023 at
by Dr. Vidit Chaudhary & Deepa Chaudhary
who has been identified to me as
who is partner
whose signature is [Signature]
witnessed by [Signature]
Notary [Signature]
Notary CHINORUP
01/09/2023

ह० अध्यक्ष